न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 81 / 2022

जीसीएमएस न0 2022 / 220

1. श्री सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल जी जाति जैन आयु तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.... प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 23.01.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा बी तहसील निम्बाहेडा राज0 में स्थित है। जिसके नवीन खाता संख्या 114 आठ न0 350 रकबा 1.5600 हेक्टेयर वाके स्थित है प्रार्थना पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी ऑनलाईन प्रमाणित पेश है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा ईशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा बी तहसील निम्बाहेडा की आराजीयात के साबिक आ० न० 237 रकबा 6 बिघा 12 बिसवा था। जिसमें तत्कालिन खातेदार द्वारा उसका हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचात किया गया। प्रार्थी द्वारा जो जरिये संयुक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से साबिक आराजी में से हक हिस्सा खरीदा गया था, जिसका इन्तकाल संख्या 295 में प्रार्थी के पिता [illegible] मोहनलाल दर्ज रेकार्ड अंकित किया गया। जिसके आ[illegible] नाम दर्ज हुआ। लेकिन अभी हाल ही के वर्षो में जो भू–प्रबन्ध विभाग [illegible] राज० द्वारा पेमाईश [illegible] गई उसमें प्रार्थी के पिता का [illegible] पर सहवन से मनोह[illegible] दर्ज रेकार्ड हो गया। उसके बाद जो जमाबन्दी के रोटेशन बने उनमें टंकन [illegible] समय प्रार्थी के पिता का नाम गलत टाईप हो गया। जिसको पुनः दुरूस्त कराया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

3. प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात के साबिक आ० न० 237 रकबा 6 बिघा 12 बिसवा था। जिसमें तत्कालिन खातेदार द्वारा उसका हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचात किया गया। प्रार्थी द्वारा जो जरिये संयुक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से साबिक आराजी में से हक हिस्सा खरीदा गया था, जिसका इन्तकाल संख्या 295 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल दर्ज रेकार्ड अंकित किया गया। जिसके आधार पर जमाबन्दी के रोटेशन में नाम दर्ज हुआ। लेकिन अभी हाल ही के वर्षो में जो भु–प्रबन्ध विभाग कोटा राज० द्वारा पेमाईश कराई गई उसमें प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल के स्थान पर सहवन से मनोहरलाल दर्ज रेकार्ड हो गया। उसके बाद जो जमाबन्दी के रोटेशन बने उनमें टंकन करते समय प्रार्थी के पिता का नाम गलत टाईप हो गया। जिसकी पुष्ठि दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर हो रही है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का बांगरेडा की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थी श्री सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल जैन निवासी निम्बाहेड़ा द्वारा ग्राम ईशाकपुरा पह० निम्बाहेडा–बी में हाल आराजी नम्बर 350 रकबा 1.56 हैक्टेयर साबिक आराजी नम्बर 237 रकबा बीघा 3 बिस्वा में से भूमि क्रय की गई। जिसका नामान्तरकरण 295 निर्णय दिनांक 11.02.88 से निर्णित होकर श्री सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल जैन सा० निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज होकर भू०–प्रबन्ध मिसल बन्दोवस्त तक यथावत चला आ रहा है। मिसल बन्दोबस्त खाता संख्या 54 2. वक्त रोटेशन आधार वर्ष 2067–70 खाता सं0 55 में लेखनीय मूल से प्रार्थी का नाम सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल के बजाय सुपार्श्वचन्द्र पिता मनोहरलाल जैन दर्ज हो गया जो वर्तमान चालु रोटेशन वर्ष 2077–80 के खाता सं. 114 तक लगातार चला आ रहा है। मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी में खाता संख्या 54 में प्रार्थी का नाम सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल जैन दर्ज रेकार्ड था. वक्त रोटेशन लेखन 2067–70 खा.सं. 55 में प्रार्थी का नाम लेखनीय भूल से सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल के बजाय सुपार्श्वचन्द्र पिता मनोहरलाल दर्ज हो गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी के पिता नाम रोटेशन लेखन में सहवन से मोहनलाल के बजाय मनोहरलाल दर्ज हो जाने से पुनः शुद्धि किया जाने की अनुशंषा की।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अ[illegible] पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंसा का [illegible] अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि पटवार हल्का बांगरेडा जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 217 पर दर्ज खातेदार रोटेशन लेखन 2067–70 खा.सं. 55 में प्रार्थी का नाम लेखनीय भूल से सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल के बजाय सुपार्श्वचन्द्र पिता मनोहरलाल दर्ज हो गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी के पिता नाम रोटेशन लेखन में सहवन से मोहनलाल के बजाय मनोहरलाल दर्ज हो जाने से पुनः शुद्धि उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

6. तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा संवत् 2077–80 की खाता संख्या 217 पर दर्ज खातेदार रोटेशन लेखन 2067–70 खा.सं. 55 में प्रार्थी का नाम लेखनीय भूल से सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल के बजाय सुपार्श्वचन्द्र पिता मनोहरलाल दर्ज हो गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है जो प्राथीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 की खात संख्या 114 की प्रमाणित प्रति,, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 11.02.1988, नकल जमाबन्दी 2060–2063,भू प्रबन्ध विभाग की खतोनी की प्रमाणित प्रति,जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 की खाता संख्या 55 की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमे प्रार्थी श्री सुपार्श्वचन्द्र के पिता का नाम मनोहरलाल के बजाय मोहनलाल होना प्रमाणित होता है।

आदेश

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि सम्वत् 2067–70 की खाता संख्या 114 के आराजी नम्बर 350 में खातेदार सुपार्श्वचन्द्र पिता मनोहरलाल के बजाय सुपार्श्वचन्द्र पिता मोहनलाल को दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

8. निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

23/1/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested